



प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 03.06.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अभि उर्फ झण्डु व सचिन उर्फ गुड्डू पुत्रगण सुभाष के ग्राम ढिकौली में स्थित मकान 74.82 वर्ग मीटर भूमि कीमत लगभग 09.05 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 03.06.2022 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाना चाँदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1. अभि उर्फ झण्डु 2. सचिन उर्फ गुड्डू पुत्रगण सुभाष निवासीगण ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत की ग्राम ढिकौली में दादालाई रिहायसी भूमि 74.82 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत 09.05 लाख रुपये है को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त अभि उर्फ झण्डु व सचिन उर्फ गुड्डू थाना चाँदीनगर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं।



अभियुक्त अभि उर्फ झण्डू उपरोक्त का आपराधिक

इतिहास:- (HS.NO 1072ए)

1. मु0अ0सं0 38/18 धारा 147/148/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट चाँदीनगर जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 82/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट चाँदीनगर जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 46/20 धारा 342/323/307/ 506 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 64/20 धारा 307/308/504 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 164/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चाँदीनगर जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 92/21 धारा 452/323/504/506 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 227/21 धारा 504/506 भादवि थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।
8. मु0अ0सं0 निल/2021 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

अभियुक्त सचिन उर्फ गुड्डू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:- (HS. NO 1073ए)

1. मु0अ0सं0 46/20 धारा 342/323/307/ 506 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 64/20 धारा 307/308/504 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 164/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चाँदीनगर जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 92/21 धारा 452/323/504/506 भादवि चाँदीनगर जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 227/21 धारा 504/506 भादवि थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 निल/2021 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 554/19 धारा 147/148/149/307 भादवि बागपत जनपद बागपत।